

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

कमांक: प्रशि./जनप्र/एम-52/2015/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर/जयपुर/ बून्दी/जोधपुर/
दौसा/सीकर/उदयपुर/करौली/भीलवाडा/
टोंक/बांसवाडा/नागौर/झुन्झुनू/डूंगरपुर/
अलवर/चुरू (राज0)

विषय :- आपके जिले में अन्य राज्यों की अनुमति से संचालित नर्सिंग संस्थानों की अंसवैधानिक तरीके से संचालित संस्थाओं के संबंध में।

संदर्भ :- अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव की अनौपचारिक टिप्पणी कमांक : 1259 दिनांक 28.08.2015 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त पत्र एवं संलग्न सूचि की छाया प्रति भेजकर लेख है कि आपके जिले में संचालित नर्सिंग संस्थानों की जांच कर इसकी पुष्टि कर सूचना निदेशालय को प्रेषित करने का श्रम करे ताकि अग्रिम कार्यवाही तदानुसार समय पर संपादित करायी जा सके।

संलग्न : उपरोतानुसार।



(डॉ० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कमांक: प्रशि./जनप्र/एम-52/2015/ 1394

दिनांक : 11-9-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (आई.ई.सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय को उनके संदर्भित पत्र के कम में।
2. श्री दिलीप तिवाडी, सचिव, प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैंडरेशन, 17 संगम होटल, मोतीलाल अटल रोड, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करे।



(डॉ० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर